रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933
No. 144] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

सं. 61 (आर ई-2010)/2009–2014

विषय : बांग्लादेश और भारत के बीच मेघालय बॉर्डर पर बॉर्डर हाटों में व्यापार ।

फा. सं. 01/93/180/11/ए एम-12/पीसी-2 (बी). —विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23-10-2010 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन निम्नलिखित व्यवस्था करते हैं :—

1. विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, बालियामारी-कलाईचर और लाऊवाघर-बालट की बॉर्डर हाटों में निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी जाएगी :

(i) स्थानीय रूप से पैदा की जाने वाली सब्जियां, खाद्य सामग्रियां, फल, मसाले,

(ii) लघु स्थानीय वन्य उत्पाद उदाहरणतया बांस, बैम्बू ग्रास, और लकड़ी को छोडकर झाड़ू;

(iii) गमछा, लुंगी आदि जैसे स्थानीय उद्योग के उत्पाद;

(iv) छोटे स्थानीय रूप से उत्पन्न कृषिगत घरेलु उपकरण जैसे डाऊ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि ;

(v) स्थानीय रूप से बनाए गए वस्त्र, मैलामाईन उत्पाद, संसाधित खाद्य सामग्री, फलों का रस आदि ।

2. उपरोक्त में स्थानीय रूप से तैयार का आशय 'नामित हाट के संबंधित बॉर्डर जिलों के उत्पाद' से है। उपरोक्त मद सूची में आने वाली विशिष्ट वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद-1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा ।

3. वेंडर्स जिन्हें बॉर्डर हाटों में अपना उत्पाद बेचने के लिए अनुमत किया जाता है, बॉर्डर हाट से पांच (5) कि.मी. की परिधि के भीतर के क्षेत्र के होंगे । वेंडीज स्नैक खाद्य/रसों के तत्काल उपभोज्य मदों को बेच सकते हैं जैसाकि हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत होगा ।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

यह भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23-10-2010 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को क्रियान्वित करता है और मेघालय बार्डर के पार बलियामारी-कलाईचर और लाऊवाघर-बालटकी बॉर्डर हाटों में व्यापार को सुगम बनाता है ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st July, 2011

No. 61/(RE-2010) 2009-2014

Subject : Trade in Border Haats across the border at Meghalaya between Bangladesh and India.

F. No. 01/93/180/11/AM-12/PC-2(B).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the follwoing arrangements under the Memorandum of Understanding (MOU) dated 23-10-2010 between India and Bangladesh:—

1. In terms of the provisions contained in the Foreign Trade Policy, the following commodities will be allowed to be traded in the Border Haats at Baliamari-Kalaichar and Louwaghar-Balat :

(i) Locally poduced vegetables, food items, fruits, spices;

(ii) Minor local forest produce e.g. bamboo, bamboo grass, and broom stick but excluding timber;

(iii) Products of local cottage industries like Gamcha, Lungi etc;

(iv) Small locally produced agriculture household implements e.g., dao, plough, axe, spade, chisel etc.

(v) Locally produced garments, melamine products, processed food items, fruit juice, etc.

2. Locally produced under the above means "the produce of the concerned border district of the designated Haat". Clarification as to the specific Commodity falling under the above list of items will be given by the Haat Managememt Committee constituted under Article 1 of the operational guidelines of the MOU.

3. Vendors who are allowed to sell their products in the Border Haats shall be the residents of the area within five (5) km radius from the location of Border Haat. The vendees may offer immediate consumption items of snack foods/juices as may be allowed by the Haat Management Committee.

Effect of Public Notice :

It operationalises the provisions of Memorandum of Understanding dated 23-10-2010 between India and Bangladesh and facilitates trade in Border Haats at Baliamari-Kalaichar and Lauwaghar-Balat across the borders at Meghalaya.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.